



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2016/चैत्र 17, 1938

No. 835]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2016/ CHAITRA 17, 1938

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2016

**का.आ. 1327(अ).**—केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के उपनियम (2) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) और धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के उपयोग, हथालन और निपटान पर प्रारूप आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 219(अ), तारीख 12 अगस्त, 2015 को उसके द्वारा सभांध्य प्रभावित सभी व्यक्तियों और संगठनों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था; और नोटिस दिया गया था कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से जब इस अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम जनता को 17 सितंबर, 2015 को उपलब्ध कराई गई थी ;

उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है ;

अतः केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :-

**प्रारूप आदेश**

1. **(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स आदेश का विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का निर्माण, निर्यात और पाबंदी** :- भारत में पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के निर्माण और आयात पर इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से पाबंदी होगी ।
3. **पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर का आयात पर पाबंदी** - पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर के आयात पर इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से पाबंदी होगी ।
4. **पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर का आयात, निर्यात या व्यापार** - पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर का आयात, निर्यात या व्यापार परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
5. **पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का प्रतिषेध** - पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का उपयोग किसी भी रूप में 31 दिसंबर, 2025 से पूर्णतया प्रतिषिद्ध होगा ।
6. **सुरक्षा उपाय** - पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर का उपयोग उनके प्रमाणित जीवन काल या 31 दिसंबर, 2025, जो भी पूर्वतर हो, तक अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनका अनुरक्षण उचित प्रकार से पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के रिसाव की संभावना के बिना किया जाए ।
7. **संख्या, मात्रा और उपस्कर इत्यादि** :- अधिभोगी पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स की कुल मात्रा, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट और पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्करों की संख्या, जो प्ररूप क पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स सूची प्ररूप के अनुसार उपयोग में और उनके संचयों में हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक साल के भीतर घोषित करेगा ।
8. **पूर्वावधानी** - अधिभोगी त्रुटियुक्त, बेकार पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट या संदूषित उपस्कर या उपयोग में लाए जाने वाले पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर, धरातल जल में या बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र में पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स प्रवाहित नहीं करेगा ।
9. **पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का निपटान** - अपशिष्ट पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स या पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर का निपटान परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन)नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार 31 दिसंबर, 2028 तक किया जाएगा । पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के भंडारण, यदि कोई हो, 31 दिसंबर, 2028 तक पर्यावरण हितकारी रीति में विनष्ट किए जाएंगे ।
10. **पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए उपयोग** - पूर्वगामी पैरों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का उपयोग, विक्रय और आयात ऐसी मात्रा में जो अनुसंधान और विकास गतिविधियों में यथापेक्षित हो, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाओं, सरकारी संस्थाओं या केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति के पश्चात् किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण** - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए --

- (क) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर से कोई ऐसा उपस्कर अभिप्रेत होगा जिसमें 0.05 प्रतिशत या अधिक पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स भार द्वारा (अर्थात् पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स  $\geq 500$  एमजी/कि.ग्रा) अंतर्विष्ट हो ।
- (ख) संदूषित उपस्कर से कोई ऐसा उपस्कर अभिप्रेत होगा जिसमें पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स 0.005 प्रतिशत पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स भार द्वारा या अधिक परंतु 0.05 प्रतिशत से कम है पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स भार द्वारा (अर्थात्  $50$  एमजी/कि.ग्रा  $\leq$  पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स  $< 500$  एमजी/केजी) अंतर्विष्ट हो ।

- (ग) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषण रहित उपस्कर से कोई ऐसा उपस्कर अभिप्रेत होगा जिसमें 0.005 प्रतिशत से कम पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स भार द्वारा (अर्थात् पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स < 50 एमजी/कि.ग्रा) अंतर्विष्ट हो ।
- (घ) विद्युत उपस्करों (ट्रांसफार्मर, कैपिस्टर, इत्यादि) में उपयोग में लाए जाने वाले डाइइलैक्ट्रिक फ्ल्यूड या खनिज तेल का उपयोग 31 दिसंबर, 2025 तक जारी रखा जाएगा, यदि उसमें कोई पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स 0.005 प्रतिशत से कम भार द्वारा (अर्थात् पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स < 50 एमजी/कि.ग्रा) अंतर्विष्ट हो ।
- (ङ) यदि डाइइलैक्ट्रिक फ्ल्यूड या खनिज तेल में पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स 2एमजी/कि.ग्रा. से कम अंतर्विष्ट है तो उसे पुनःप्रसंस्कृत, रिसाइकिल या पुनःउपयोग में 31 दिसंबर, 2025 तक लाया जा सकेगा ।
- (च) पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट से ऐसी त्यक्त सामग्री या पैकेजिंग अभिप्रेत है जिसमें पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अंतर्विष्ट है या पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से संदूषित है, जो बिना किसी सुरक्षित वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या आर्थिक उपयोग की हो ।

[फा. सं. 22-3/2010-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

प्ररूप - क

**पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का घोषणा प्रारूप  
(पैरा 7 देखें)**

(पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स आदेश का विनियमन, 2016 के पैरा 7 के अनुसार अधिभोगी द्वारा आवेदन)

तारीख

प्रेषक

.....  
.....

**सेवा में,**

एचएसएम प्रभाग  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
इंदिरा पर्यावरण भवन, जल विंग, जोरबाग रोड  
नई दिल्ली 110003

महोदय,

मैं/हम पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स (पीसीबी) आदेश का विनियमन, 2016 के पैरा 7 के अधीन पीसीबी की कुल मात्रा, पीसीबी से अंतर्विष्ट उपस्कर पीसीबी संदूषित उपस्कर, जो उपयोग में है, जो उपयोग में नहीं है या जो अधिभोगी(अधिभोगियों) के रूप में मेरे/हमारे कब्जे में और उनके संचयों में है, को प्रकट करता हूँ ।

**भाग - I**  
**साधारण**

क्रम सं.	मद के ब्यौरे	विवरण
1 (क)	अधिभोगी का नाम	
(ख)	एकक का नाम और पूर्ण पता, अवस्थिति, संपर्क ब्यौरे (दूरभाष संख्या, फैक्स और ई-मेल)।	
2.	अधिभोगी की प्रास्थिति - व्यष्टि/सांपत्तिक समुत्थान/सहभागिता फर्म (रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत/संयुक्त कुटुंब समुत्थान/हिंदू अविभाजित कुटुंब/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सरकारी कंपनी: (राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग), कोई अन्य संगम या निकाय	

**भाग -II**

**पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर, जो उपयोग में है और उनके संचयों से संबंधित सूचना।**

क्रम सं.	मद के ब्यौरे	विवरण
1.	पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स और पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर के निर्माता का नाम : (जो उपयोग में है)	
2.	प्रकार (ट्रांसफार्मर, कैपिस्टर, इत्यादि):	
3.	निर्माण का वर्ष :	
4 (क)	शुद्ध पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स की कुल मात्रा :	
4(ख)	पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर की संख्या:	
4(ग)	पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर की संख्या:	
4(घ)	पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के संचयों की कुल मात्रा :	
5.	पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स के लिए पात्र	
(i)	क्या पात्र रिसाव - रोधक है :	हां/नहीं
(ii)	क्या पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर और पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर के लिए भंडारण का स्थान स्पष्टतया चिन्हित है :	हां/नहीं
6.	पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का किया गया विश्लेषण :	हां/नहीं
6 (क)	यदि हां, तो अनुसरण की गई पद्धति और कब ?	

7	फैक्टरी (फैक्टरियों), परिसर(परिसरों) का पता, जहां पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर स्थापित/भंडारित किया गया है (सर्वेक्षण संख्या, खसरा संख्या, ग्राम/नगर, तहसील के राजस्व लेखों के अनुसार, जिला पुलिस स्टेशन, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता)।	
---	--	--

### भाग – III

#### पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से संभाव्य अंतर्विष्ट अपशिष्ट की सूचना

8. (क)	अपशिष्टों की प्रकृति ( उदाहरणार्थ – ड्रमों, टैंकरों या जलाशयों में ट्रांसफार्मर तेल):	
(ख)	प्राक्कलित मात्रा (टनों में)	
(ग)	पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट का भंडारण कैसे किया जाता है,	
(घ)	क्या पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट भंडारण का स्थान स्पष्टतया चिन्हित है:	हां/नहीं

### भाग-IV

#### पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स हटाने हेतु कार्य योजना

9(क)	पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स हटाने हेतु तैयार की गई कार्य योजना :	हां/नहीं
	(यदि हां तो हटाने हेतु समय सीमा सहित प्रति उपलब्ध करवाएं)	
(ख)	किसी पूर्ववर्ती सुधारात्मक प्रयासों का संक्षिप्त इतिहास, उदाहरणार्थ पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स से अंतर्विष्ट उपस्कर, पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स संदूषित उपस्कर और पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट को निपटान के लिए हटाया जाना (कब, किसके द्वारा, कहां इत्यादि)	

### भाग- V

#### अन्य सुसंगत सूचना

स्थान, तारीख

आवदेक का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पण – 1. जो लागू/सुसंगत न हों, उसे काट दें।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2016

**S.O. 1327(E).**—Whereas, the Central Government had, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (2) of rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, published the draft order on Regulation of Use, Handling and Disposal of Polychlorinated Biphenyls in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O.219(E), dated the 12<sup>th</sup> August, 2015 for information of all persons and organisations likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft notification would be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 17<sup>th</sup> September, 2015;

And whereas, the suggestions or objections received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 3 and section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby issue the following Order, namely:-

**ORDER**

1. (1) **Short title and commencement.**— This Order may be called, the Regulation of Polychlorinated Biphenyls Order, 2016.  
  
(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.
2. **Manufacture, Import and ban of Polychlorinated Biphenyls.**— The manufacture and import of the Polychlorinated Biphenyls in India shall be banned from the date of final publication of this Order.
3. **Ban on Import of Polychlorinated Biphenyls containing equipment.**— The import of Polychlorinated Biphenyls containing equipment shall be banned from the date of final publication of this Order.
4. **Import, export or trade of Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment.**— The import, export or trade of Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment shall be regulated as per the provisions of the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.
5. **Prohibition of Polychlorinated Biphenyls.**— The use of Polychlorinated Biphenyls in any form shall be completely prohibited by 31<sup>st</sup> December, 2025.
6. **Safety measures.**— The use of Polychlorinated Biphenyls containing equipment shall be permitted for their certified life time or 31<sup>st</sup> December 2025, whichever is earlier, provided that they are maintained properly without possibility of leakage or release of Polychlorinated Biphenyls to environment.
7. **The number, quantity and equipment, etc.**— The occupier shall declare the total quantity of Polychlorinated Biphenyls, the number of Polychlorinated Biphenyls containing equipment and Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment which are in use and their stockpiles, as per Polychlorinated Biphenyls inventory form as per Form 'A', to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, within one year from the date of final publication of this Order.
8. **Precaution.**— The occupier shall not drain or discharge Polychlorinated Biphenyls directly or indirectly on land, in surface water or effluent treatment plant from defective, out of use Polychlorinated Biphenyls containing or contaminated equipment or in use Polychlorinated Biphenyls containing equipment.
9. **Disposal of Polychlorinated Biphenyls.**— The waste Polychlorinated Biphenyls or Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment shall be disposed of as per the provisions of the Hazardous Wastes (Management,

Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 by 31<sup>st</sup> December, 2028. Stockpiles of Polychlorinated Biphenyls if any shall be destroyed in environment beneficial manner by 31<sup>st</sup> December, 2028.

**10. Use of Polychlorinated Biphenyls for scientific purpose.-** Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, Polychlorinated Biphenyls may be used, sold and imported in quantities as required for research and development activities in Central Universities, Council of Scientific and Industrial Research Laboratories, Government Institutions or Central Power Research Institute after the concurrence of **the Ministry** of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

*Explanation.* - For the purpose of this notification.-

- (a) Polychlorinated Biphenyls containing equipment shall mean any equipment that contains 0.05 per cent or more Polychlorinated Biphenyls by weight (i.e. Polychlorinated Biphenyls  $\geq$  500 mg/kg).
- (b) Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment shall mean any equipment that contains 0.005 per cent Polychlorinated Biphenyls by weight or more but less than 0.05 per cent. Polychlorinated Biphenyls by weight (i.e.  $50 \text{ mg/kg} \leq$  Polychlorinated Biphenyls  $<$  500 mg/kg).
- (c) Polychlorinated Biphenyls contamination free equipment shall mean any equipment that contains Polychlorinated Biphenyls less than 0.005 per cent by weight (i.e. Polychlorinated Biphenyls  $<$  50 mg/kg).
- (d) A dielectric fluid or, mineral oil used in the power equipments (transformer, capacitor, etc.) shall continue to be used till 31<sup>st</sup> December, 2025 if, it contains Polychlorinated Biphenyls less than 0.005 per cent by weight (i.e. Polychlorinated Biphenyls  $<$  50 mg/kg).
- (e) If dielectric fluid or mineral oil used in power equipments contain Polychlorinated Biphenyls less than 2 mg/kg, it could be reprocessed, recycled or reused till 31<sup>st</sup> December, 2025.
- (f) Polychlorinated Biphenyls waste means discarded materials or packaging that contains Polychlorinated Biphenyls or has been contaminated with Polychlorinated Biphenyls that are without any safe commercial, industrial, agricultural or economic usage.

[F. No. 22-3/2010 –HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

**Form-A**

**DECLARATION FORM FOR POLYCHLORINATED BIPHENYLS**

(See paragraph 7)

[Application by an occupier as per paragraph 7 of the Regulation of Polychlorinated Biphenyls Order, 2016.]

**Date**

**From**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**To**

HSM Division

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Indira Paryavaran Bhawan

Jal Wing, Jor Bagh Road, New Delhi-110003

Sir,

I/We hereby disclose under paragraph 7 of the Regulation of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Order, 2016, the total quantity of PCBs, the number of PCBs containing equipment and PCBs contaminated equipment, which are in use, not in use or in my/our possession and their stockpiles as an occupier(s).

### PART I

#### General

S. No.	Item details	Description
1 (a)	Name of Occupier	
(b)	Name and complete address, location, contact details of the unit (Telephone Nos., fax and e-mail).	
2.	Status of Occupier: Individual/Proprietary concern/Partnership firm (whether registered or unregistered)/Joint family concern/Hindu Undivided Family/Private Limited Company/Public Limited Company, Government Company: (State Government/Central Government/Union Territory/Public sector undertaking), Any other association or body.	

### PART II

#### Information related to Polychlorinated Biphenyls, Polychlorinated Biphenyls containing equipment and Polychlorinated Biphenyls contaminated equipment in use and their stockpiles

S.No.	Item	Description
1.	Name of manufacturer(s) of PCBs and PCBs containing equipment : ( in use)	
2.	Type (transformer, capacitor, etc.)	
3.	Year of manufacturing :	
4 (a)	Total quantity of Pure PCBs	
4 (b)	Number of PCBs containing equipment	
4 (c)	Number of PCBs contaminated equipment	
4 (d)	Total quantity of stockpiles of PCBs	
5.	Containers for PCBs	
(i)	Are containers leak –proof	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
(ii)	Is the place of storage of PCBs, PCBs contaminated equipments and PCBs contained equipments clearly marked	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
6	PCBS analysis performed.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
6 (a)	If yes, method followed and when?	
7.	Address of factory (ies), premise(s) where PCBs, PCBs containing equipment and PCBs contaminated equipment is installed/stored (Survey No., Khasra No., location as per revenue records of village/Town Tehsil, District Police Station, State, jurisdiction of the First-Class Magistrate).	

### PART-III

#### Information on waste likely to contain Polychlorinated Biphenyls

8 (a)	Nature of wastes (e.g. transformer oil in drums, tankers or, reservoirs )	
(b)	Estimated quantity (in tonnes)	
(c)	Brief on how storage of PCBs waste is done	
(d)	Is the place of PCBs waste storage clearly marked	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

### PART-IV



**Polychlorinated Biphenyls elimination Action Plan**

9 (a)	Action Plan for PCBs elimination prepared	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	If yes, provide a copy along with time frame for elimination	
(b)	Brief history of any previous remediation efforts, e.g removal of PCBs containing equipment, PCBs contaminated equipment and PCBs waste for disposal (when, by whom, where to, etc.)	

**PART-V****Other relevant information**

Place, Date

Name and signature of applicant

**Note:** 1. Strike out which is not applicable / relevant.